

परियोजना	—	मालनपुर 220 के.व्ही — एमईएस ग्वालियर 132 के.व्ही डीसीडीएस लाइन।
प्रस्तावक विभाग	—	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज—।। लिमिटेड।
प्रस्ताव सं०	—	FP/MP/TRANS/150916/2022

प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) के भुगतान किये जाने सम्बन्धी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या—एफ० नं० 5—3/20011एफ०सी० (वॉल — 1) दिनांक 6—1—2022 द्वारा 1.5684 हे० वन भूमि के हस्तान्तरण/गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्धारित नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन०पी०वी०) और बढ़ी दरों के अनुसार धनराशि को एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज—।। लिमिटेड द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) वन विभाग, मध्य प्रदेश को ई—पोर्टल से उत्पन्न ई—चालान द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा।

प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता



(सैयद शारिक इमाम)
एसोसिएट मैनेजर — प्रोजेक्ट्स
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज—।। लिमिटेड

परियोजना	—	मालनपुर 220 के.व्ही — एमईएस ग्वालियर 132 के.व्ही डीसीडीएस लाइन।
प्रस्तावक विभाग	—	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज—।। लिमिटेड।
प्रस्ताव सं०	—	FP/MP/TRANS/150916/2022

प्रस्तावित वन भूमि के एन०पी०वी० के संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज—।। लिमिटेड द्वारा मालनपुर 220 के.व्ही — एमईएस ग्वालियर 132 के.व्ही डीसीडीएस लाइन के निर्माण में 1.5684 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु मांग की गयी। एन०पी०वी० की धनराशि की दर में भविष्य में भारत सरकार/सक्षम स्तर से बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज—।। लिमिटेड द्वारा किया जायेगा।

प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता



(सैयद शारिक इमाम)

एसोसिएट मैनेजर — प्रोजेक्ट्स
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज—।। लिमिटेड